OFFICE OF AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE
CHAMBA, DISTRICT CHAMBA (H.P.) 176314

सार्वजानिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति चम्बा (हि o प्र o) के अंतर्गत विनियमित फल व् सब्ज़ी मंडी चम्बा स्थित बालू मे सब्जी तथा फलों के थोक व्यापार हेतु दूकान संख्या 1,5,एवं 6 को खुली बोली द्वारा किराये पर आवंटित किया जाना है , जिसका ब्यौरा निम्न है :

क्रम संख्या	दूकान संख्या	आबंटन का उदेश्य	बोली न्यूनतम प्रतिमाह किराये से शुरू होगी
1	01	सब्जी तथा फलों एवं अन्य अधिसूचित कृषि उपज के थोक व्यापार हेतु	Rs.3260 +18% GST
2	05	सब्जी तथा फलों एवं अन्य अधिसूचित कृषि उपज के थोक व्यापार हेतु	Rs.4068+ 18% GST
3	06	कंटीन	Rs 3500+ 18% GST

अत: इस सवंध में जिला चम्बा के सब्जी तथा फलों के थोक व्यापारियो/ विक्रेताओं को सूचना प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित है । इच्छुक आवेदक आवेदन हेतु कृषि उपज मंडी समिति चम्बा स्थित बालू कार्यालय में रु 100/- जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है । अत आवेदन की अंतिम दिनांक 07-01-2026 को अपराह्न 5:00 वजे रहेगी इसके उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा ।

नीलामी प्रक्रिया मे निम्नलिखित नयम एवं शर्तों का पालन होगा –

1. दुकानों का आवंटन हि o प्रo राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
2. आवेदक जिला चम्बा का स्थाई निवासी होना चाहिए एव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा का लाइसेंस धारक हों व् मंडी शुल्क का तथा किराया का डिफाल्टर न हो।
3. यदि आवेदक कृषि उपज मंडी समिति चम्बा का लाइसेंस धारक नही है तो उस स्थिति मे आवंटन के उपरांत आवेदक को कृषि उपज मंडी समिति चम्बा मे पंजीकृत करवाकर लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
4. आवेदक को आवंटन प्रक्रिया मे भाग लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ मु o 10000 /- रुपए की आरक्षित राशी कैश के रूप मे सचिव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा के नाम पर जमा करवानी होगी , जो कि आवंटन न होने पर तुरंत वापिस कर दी जाएगी।
5. सूचना प्रकाशित होने की तिथि से पहले एव 21 दिन के उपरांत किये गए आवेदन तथा सूचना प्रकाशित होने के तिथि से पहले किये गए आवेदन रद्द समझे जाएँगे।
6. यदि पात्र आवेदक दुकानों की संख्या से अधिक हुए तो आवंटन की उचतम बोली के आधार पर किया जाएगा।
7. सफल बोली दाता को 6 माह का किराया बतौर प्रतिभूति व् 1 माह का अग्रिम किराया उसी दिन जमा करवाना होगा।
8. दुकानों के आवंटन हेतु न्यूनतम बोली, उक्त दुकान का वसूला गया अंतिम किराये मूल्य से शुरू होगी। सफल बोलीदाता को निर्धारित किराया अगले माह की 7 तारीख तक जमा करवाना होंगा अन्यथा किराये का 10 % दण्ड स्वरुप वसूला जाएगा। इसके आलावा यदि आवंटक दुकानदार लगातार 2 या अधिक माह का किराया जमा नही करवाता है तो कृषि उपज मंडी समिति के पास बिना नोटिस आवंटन रद्द करने का विकल्प होगा। एव लंबित किराये का समायोजन , 6 माह का किराया प्रतिभूति से कर लिया जाएगा।
9. आवंटक / बोलीदाता को आवंटन के 10 दिन के भीतर दूकान का कब्जा लेने से पूर्व सचिव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा के साथ अनुवंध करना होगा। आवंटित दूकान को फल व् सब्ज़ी का थोक व्यापार कार्य करने अनिवार्य होगा।
10. आवंटन समिति को बिना कारण वताए आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा।
11. अन्य शर्ते मौके पर सुनाई जाएगी।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति चम्बा
जिला चम्बा (हि o प्र o)

Scanned with OKEN Scanner